

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
बाढ़ कार्य खण्ड,
प्रयागराज ।

प्रेष्य,

रजिस्ट्रार,
एन0जी0टी0,
प्रिन्सिपल बेंच, नईदिल्ली ।

पत्रांक:- 233 / बाकाखप्र / एन0जी0टी0 /

दिनांक: प्रयागराज 28.02 / 2025

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नईदिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या-203 / 2022 एवं 227 / 2024 कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में आवेदन संख्या 203 / 2022 एवं 227 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2025 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार रिस्पॉंस मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नईदिल्ली के समक्ष दाखिल किये जाने हेतु आपकी सेवा में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सादर ।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय


अधिकासी अभियन्ता (पैरोकार)
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

पत्रांक:- / बाकाखप्र / एन0जी0टी0 / दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1-प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

2-मेलाधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज ।

3-श्री अंकित वर्मा, Adv. For the state of UP को मय संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 न्यायालय में ससमय विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

संलग्नक:- यथोपरि ।


अधिकासी अभियन्ता (पैरोकार)
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज


मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या 203/2022 एवं 227/2024 की अनुपालन आख्या


उपरोक्त में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 11.02.2025 को सुनवाई के दौरान पारित आदेश के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० से सम्बन्धित बिन्दुओं पर बिन्दुवार रिस्पांस निम्नवत है-


बिन्दुसंख्या-6 किशनपुर पम्प कैनल की स्थापना वर्ष 1975 में यमुना नदी में जल की उपलब्धता एवं केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली की अनुमति के उपरान्त की गई है। इसकी स्थापित क्षमता 420 क्यूसेक है। इस नहर का संचालन नदी में जल की उपलब्धता एवं सिंचाई हेतु जल की मांग के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में जनवरी एवं फरवरी 2025 के दौरान यमुना नदी से जल (डिस्चार्ज) की निकासी की सूचना संलग्न है (संलग्नक-1)

बिन्दुसंख्या-7 महाकुम्भ मेले के दौरान गंगा नदी में ई-फ्लो सुनिश्चित किया गया है। सादर अवगतनीय हो कि इस के सम्बन्ध में भारत का राजपत्र दिनांक 10.10.2018 (संलग्नक-2) के द्वारा ई-फ्लो के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई है कि अक्टूबर से मई तक में कानपुर बैराज के सनिकट धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह 24 क्यूमेक (847 क्यूसेक) होना चाहिए। महाकुम्भ मेले के दौरान डिस्चार्ज डाटा संकलित किया गया है (संलग्नक-3)। महाकुम्भ के दौरान कानपुर बैराज के डाउन स्ट्रीम में औसत डिस्चार्ज 10288 क्यूसेक रहा है, जो निर्धारित ई-फ्लो से अधिक रहा है।


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड-कौशाम्बी


अधिशायी अभियन्ता
बाढ़ कार्य खण्ड प्रयागराज


28.02.25
अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल प्रयागराज


मुख्य अभियन्ता (सोन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० वाराणसी


Data for O.A. No 203/2022 with O518 227/2024 , Para 06

Withdrawal of Water by Kisanpur Canal from Yamuna River

Sl.No.	Date	Water withdrawal Status	
		Actual withdrawal (Cusecs)	Zero withdrawal (Cusecs)
1	2	3	4
1	1-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 20:00 Hrs	Zero Cusec from 20:00 Hrs to 24:00 Hrs
2	2-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
3	3-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
4	4-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
5	5-Jan-2025	360 Cusec from 0:00 Hrs to 18:08 Hrs	Zero Cusec from 18:08 Hrs to 24:00 Hrs
6	6-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
7	7-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 23:35 Hrs	Zero Cusec from 23:35 Hrs to 24:00 Hrs
8	8-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 18:45 Hrs	Zero Cusec from 18:45 Hrs to 24:00 Hrs
9	9-Jan-2025	Zero Withdrawal	
10	10-Jan-2025		
11	11-Jan-2025		
12	12-Jan-2025		
13	13-Jan-2025		
14	14-Jan-2025		
15	15-Jan-2025		
16	16-Jan-2025		
17	17-Jan-2025	120 Cusec from 0:00 Hrs to 3:45 Hrs	Zero Cusec from 3:45 Hrs to 24:00 Hrs
18	18-Jan-2025	120 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
19	19-Jan-2025	120 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
20	20-Jan-2025	120 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
21	21-Jan-2025	120 Cusec from 0:00 Hrs to 23:15 Hrs	Zero Cusec from 23:15 Hrs to 24:00 Hrs
22	22-Jan-2025	300 Cusec from 0:00 Hrs to 16:03 Hrs	Zero Cusec from 16:03 Hrs to 24:00 Hrs
23	23-Jan-2025	300 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
24	24-Jan-2025	300 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
25	25-Jan-2025	300 Cusec from 0:00 Hrs to 18:00 Hrs	Zero Cusec from 18:00 Hrs to 24:00 Hrs
26	26-Jan-2025	Zero Withdrawal	
27	27-Jan-2025		
28	28-Jan-2025		
29	29-Jan-2025		
30	30-Jan-2025		
31	31-Jan-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 11:00 Hrs	Zero Cusec from 11:00 Hrs to 24:00 Hrs
32	1-Feb-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
33	2-Feb-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
34	3-Feb-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
35	4-Feb-2025	300 Cusec from 0:00 Hrs to 13:30 Hrs	Zero Cusec from 13:30 Hrs to 24:00 Hrs
36	5-Feb-2025	360 Cusec from 0:00 Hrs to 8:00 Hrs	Zero Cusec from 8:00 Hrs to 24:00 Hrs
37	6-Feb-2025	360 Cusec from 0:00 Hrs to 24:00 Hrs	-
38	7-Feb-2025	360 Cusec from 0:00 Hrs to 15:00 Hrs	Zero Cusec from 15:00 Hrs to 24:00 Hrs
39	8-Feb-2025	Zero Withdrawal	
40	9-Feb-2025		
41	10-Feb-2025		
42	11-Feb-2025		
43	12-Feb-2025		
44	13-Feb-2025		
45	14-Feb-2025		
46	15-Feb-2025		

Handwritten signature

Sl.No.	Date	519er withdrawal Status	
		Actual withdrawal (Cusecs)	Zero withdrawal (Cusecs)
1	2	3	4
47	16-Feb-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 10:15 Hrs	Zero Cusec from 10:15 Hrs to 24:00 Hrs
48	17-Feb-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 23:30 Hrs	Zero Cusec from 23:30 Hrs to 24:00 Hrs
49	18-Feb-2025	240 Cusec from 0:00 Hrs to 17:00 Hrs	Zero Cusec from 17:00 Hrs to 24:00 Hrs
50	19-Feb-2025	Zero Withdrawal	
51	20-Feb-2025		
52	21-Feb-2025		
53	22-Feb-2025		
54	23-Feb-2025		
55	24-Feb-2025		
56	25-Feb-2025		
57	26-Feb-2025		


 अधिशासी अभियन्ता
 सिंचाई खण्ड कौशाम्बी
 27.02.2025



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4009]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2018/आश्विन 18, 1940

No. 4009]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2018/ASVINA 18, 1940

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5195(अ).—गंगा नदी अत्यधिक पवित्र और इस देश के लोगों द्वारा अत्यंत पूजनीय है तथा गंगा नदी बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र के निबंधनानुसार भारत में वृहत्तम नदी बेसिन है, जिसमें संपूर्ण देश की छब्बीस प्रतिशत भूमि सम्मिलित है तथा जो लगभग पचास करोड़ जनसंख्या के लिए पोषणीय है;

और गंगा नदी विशेष गुणों, विशिष्टताओं तथा महत्व के रूप में अद्वितीय है जिसका महत्वपूर्ण लौकिक और स्थानिक प्रभाव भिन्नता के साथ जल-विज्ञान, भू-आकृतिविज्ञान, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं;

और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है तथा नदी-प्रणाली में सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए बेसिन में सदैव पानी की बढ़ती मांग के साथ घरेलू अपशिष्ट और आद्योगिक अपशिष्ट सहित विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण प्रवेश कर रहा है, जो नदी के स्वास्थ्य को लंबे समय से प्रभावित कर रहा है;

और भारत सरकार समुचित पर्यावरण प्रवाह तथा साथ ही नदी में प्रदूषण के प्रवेश के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए नदियों की पौष्टिकता की बहाली करने और उसे बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है;

और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गंगा नदी में हर समय पानी के निर्बाध प्रवाह को पूरी तरह से बनाए रखा जाए, जिससे मौसमी भिन्नताओं को बदले बिना नदी में प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित हो सके;

केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन अधिसूचना का.आ. 3187 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2016 द्वारा गंगा नदी जलक्षेत्र के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंध तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया था, अर्थात्:-

(क) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय वहनीय संरक्षण, संरक्षा और प्रबंध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदैव विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बिंदुओं पर बनाए रखने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पारिस्थितिक

प्रवाह के परिमाण को अवधारित करवाने तथा उसे अधिसूचित करवाने और पर्याप्त पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाना या निदेशित करना;

(ख) गंगा नदी के जलीय प्रेक्षण स्टेशनों के माध्यम से विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर पानी के औसत प्रवाह को विनिर्दिष्ट करना;

(ग) गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों में जल के प्रवाह की निरंतर मानीटरी के लिए तंत्र विकसित करना;

और केंद्रीय सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में कतिपय प्रवाहों को निर्धारित करने का विनिश्चय किया है।

2. अतः केंद्रीय सरकार, गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के पैरा 39 के उपपैरा (3) और पैरा 41 के उपपैरा (2) की मद (ज) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिंचाई, जल विद्युत्, घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों तथा अन्य अपेक्षाओं के लिए नदी प्रवाह को परिवर्तित करने के लिए संरचनाओं या परियोजनाओं के निम्न प्रवाह अवस्थानों पर न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाहों को बनाए रखने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. देवप्रयाग से हरिद्वार तक अंत में मिलने वाले क्रमवर्तीय सम्मिलनों के माध्यम से और उद्भव वाले ग्लेशियरों से आरंभ होने वाला उपरी गंगा नदी बेसिन विस्तार:

क्रम सं.	ऋतु	मास	प्रत्येक पूर्ववर्ती 10 दैनिक अवधि के दौरान प्रेक्षित मासिक औसत प्रवाह का प्रतिशत(%)
1.	शुष्क	नवंबर से मार्च	20
2.	क्षीण	अक्तूबर, अप्रैल और मई	25
3.	उच्च प्रवाह ऋतु	जून से सितंबर	30*#

*#उच्च प्रवाह ऋतु के मासिक प्रवाह का 30%

II. हरिद्वार, उत्तराखंड से उन्नाव, उत्तर प्रदेश तक गंगा नदी के मुख्य मार्ग का विस्तार:

क्रम सं.	बैराज की अवस्थिति	बैराजों के सन्निकट निम्न धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह (क्यूमैक्स में) (अक्तूबर से मई)	बैराजों के सन्निकट निम्न धारा को निर्मुक्त करने वाला न्यूनतम प्रवाह (क्यूमैक में) (जून से सितंबर)
(1)	भीमगौड़ा (हरिद्वार)	36	57
(2)	विजनौर	24	48
(3)	नरौरा	24	48
(4)	कानपुर	24	48

क्यूमैक-घनमीटर प्रतिसेकंड।

III. उपरोक्त उक्त पारिस्थितिकी प्रवाह निम्न के अध्यक्षीन हैं, अर्थात्:-

(i) न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह का अनुपालन सभी विद्यमान, निर्माणाधीन और भविष्य की परियोजनाओं को लागू होता है;

(ii) विद्यमान परियोजनाएं जो वर्तमान में इन पर्यावरणीय प्रवाहों के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, इनका पालन करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि वांछित पर्यावरणीय प्रवाह मानदंडों का पालन इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाए;

(iii) परियोजना जो सन्निर्माण की विभिन्न प्रक्रम पर हैं, जहां जमीनी भौतिक प्रगति आरंभ हो चुकी है और समुचित प्राधिकारी को रिपोर्ट की गई है, परियोजना को आरंभ करने के पूर्व और उसके पश्चात् अनुबद्ध पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक उपबंध करेगी;

(iv) लघु और सूक्ष्म परियोजनाएं जो सारवान रूप से नदी या धारा की प्रवाही विशेषताओं को परिवर्तित नहीं करती हैं, इन परियावरणीय प्रवाहों से छूट प्राप्त हैं;

(v) परियावरणीय प्रवाहों को बनाए रखने के लिए जल की बांछनीय मात्राओं की निर्मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए, इन नदी आगमों में प्रवाह की दशाएँ समय-समय पर कालिक अंतरालों पर मानीटर की जाएंगी;

(vi) केंद्रीय जल आयोग अभिहित प्राधिकारी तथा डाटा का संरक्षक होगा तथा प्रवाहों के पर्यवेक्षण, मानीटरिंग, विनियमन तथा जब कभी अपेक्षित हो, समुचित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह किमी आपात स्थिति की दशा में जल भंडारण मानदंडों के बारे में तत्काल निर्णय लेने के लिए भी प्राधिकृत है। केंद्रीय जल आयोग त्रैमासिक आधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रवाह मानीटरी-सह-अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(vii) संबंधित परियोजना विकासकर्ता या प्राधिकारी इस अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर केंद्रीय जल आयोग विनिर्दिष्ट उचित अवस्थानों पर परियोजना स्थलों पर स्वचालित डाटा अर्जन और डाटा प्रेषण प्रसुविधाएं या अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना लगाएगा। प्रवाह मानीटरी प्रसुविधा को लगाने, अंशांकन करने, उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व परियोजना विकासकर्ताओं या प्राधिकारियों का होगा और वे समय-समय पर केंद्रीय जल आयोग को डाटा प्रस्तुत करेंगे;

(viii) केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से, जब कभी अपेक्षित हो, गंगा नदी में विशेष मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जल को निर्मुक्त करने का निदेश दे सकेगी।

IV. संबंधित केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण, सिंचाई का प्रभावी ढंग, जल का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूजल निकालने की मानीटरिंग और विनियमन भी है, जैसे अच्छे और वैज्ञानिक व्यवहारों को अपना कर गंगा नदी के जल निकालने में कमी करने के लिए मांग पक्ष प्रबंध योजना कार्यान्वित करेंगे।

3. यह आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

4. यह आदेश उद्भव वाले ग्लेशियरों से आरंभ होने वाले उपरी गंगा नदी बेसिन तथा देवप्रयाग से हरिद्वार तक और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले तक गंगा नदी की मुख्य धारा को तथा अंत में मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियों के क्रमवर्ती सम्मिलनों पर लागू होगा।

[फा. सं. - Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 2018

S.O.5195(E).—Whereas, the River Ganga is the most sacred and deeply revered by the people of this country and the Ganga river basin is the largest river basin in India in terms of catchment area, constituting twenty six per cent of the country's land mass and supporting about half a billion population;

And whereas, River Ganga is unique as having special properties, features and importance, holding reasons that are hydrological, geomorphological, historical, socio-cultural and economical with significant temporal and spatial flow variation;

And whereas, River Ganga has been given status of a National river and the ever increasing demand for water in the basin for irrigation, domestic, industrial and other purposes coupled with pollution ingress from different sources including domestic waste, industrial waste, into river system is affecting the health of the said river for long;

And whereas, the Central Government is committed to restore and maintain the wholesomeness of the rivers ensuring appropriate environment flows and simultaneously preventing the pollution ingress into the said river;

And whereas, it is considered necessary to ensure that uninterrupted flows of water are maintained throughout its length at all times in River Ganga to ensure continuity of flows in the river without altering the seasonal variations;

And whereas the Central Government *vide* notification S.O. 3187(E), dated the 7th October, 2016 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has constituted an authority, namely, the National Mission for Clean Ganga for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga basin for the following purposes, namely:-

(a) to determine the magnitude of ecological flow in the River Ganga and its tributaries required to be maintained at different points in different areas at all times with the aim of ensuring water quality and environmentally

sustainable rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries and notifying the same and take or direct all such measures necessary to maintain adequate ecological flows;

- (b) to specify the average flow of water at specified points through Hydrological Observation Stations of the River Ganga;
- (c) to devise a system for continuous monitoring of flow of water in the River Ganga and its tributaries;

And whereas the Central Government has decided to determine certain flows in the River Ganga and its tributaries;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 and read with sub paragraph (3) of paragraph 39 and item(h) of sub-paragraph(2) of paragraph 41 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, the Central Government hereby notifies the following minimum environmental flows to be maintained at locations downstream of structures or projects meant for diversion of river flows for purposes like irrigation, hydropower, domestic and industrial and other requirements, namely:-

- I. **Upper Ganga River Basin Stretch** starting from originating glaciers and through respective confluences finally meeting at Devaprayag up to Haridwar:

Sl. No.	Season	Months	(%) Percentage of Monthly Average Flow observed during each of preceding 10-daily period
1	Dry	November to March	20
2	Lean	October, April and May	25
3	High Flow season	June to September	30 ^{*#}

*# 30% of monthly flow of High flow season.

- II. **Stretch of main stem of River Ganga from Haridwar, Uttarakhand to Unnao, Uttar Pradesh**

S. No.	Location of Barrage	Minimum flow releases immediately downstream of barrages	Minimum flow releases immediately downstream of barrages
		(In Cumecs) Non-Monsoon (October to May)	(In Cumecs) Monsoon (June to September)
(1)	Bhimgoda (Haridwar)	36	57
(2)	Bijnor	24	48
(3)	Narora	24	48
(4)	Kanpur	24	48

Cumec – Cubic Meter per second.

- III. The above said ecological flows are subject to the following, namely:-

- (i) the compliance of minimum environmental flow is applicable to all existing, under-construction and future projects;
- (ii) the existing projects, which currently do not meet the norms of these environmental flows, shall comply and ensure that the desired environmental flow norms are complied within a period of three years from the date of issue of this order;

- (iii) the project which is at different stages of construction, where physical progress on ground has been initiated and made and reported to appropriate authority shall also make necessary provisions to maintain the stipulated environmental flow before and after commissioning of the project;
- (iv) the mini and micro projects which do not alter the flow characteristics of the river or stream significantly are exempted from these environmental flows;
- (v) to ensure the release of desired quantities of water to maintain environmental flows, flow conditions in these river reaches shall be monitored at hourly intervals from time to time;
- (vi) the Central Water Commission shall be the designated authority and the custodian of the data and shall be responsible for supervision, monitoring, regulation of flows and reporting of necessary information to the appropriate authority as and when required and also authorised to take emergent decisions about the water storage norms in case of any emergency. The Central Water Commission shall submit flow monitoring-cum-compliance report on quarterly basis to National Mission for Clean Ganga;
- (vii) the concerned project developers or authorities shall install automatic data acquisition and data transmission facilities or required necessary infrastructure at project sites at appropriate locations specified by the Central Water Commission within six months from the date of this order. The installation, calibration, maintenance of flow monitoring facility shall be the responsibility of the project developers or authorities and they shall submit the data to the Central Water Commission from time to time;
- (viii) the Central Government through National Mission for Clean Ganga may direct release of additional water in the River Ganga to meet special demand as and when required.
- IV. The concerned Central and State authorities shall implement demand side management plans to reduce water withdrawal from River Ganga by adopting good and scientific practices such as efficient method of irrigation, reuse and recycle of water including monitoring and regulation of ground water withdrawals for various purposes.
3. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
4. This Order shall apply to the upper Ganga River Basin starting from originating glaciers and through respective confluences of its head tributaries finally meeting at Devaprayag up to Haridwar and the main stem of River Ganga up to Unnao district of Uttar Pradesh

[F. No.- Estt.01/2016-17/111/NMCG(Vol III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director(Admn)

गंगा नदी का डिस्चार्ज

दिनांक	कानपुर डिस्चार्ज (क्यूसेक में)
1	2
01-01-25	9383
02-01-25	10722
03-01-25	10516
04-01-25	10722
05-01-25	10722
06-01-25	10722
07-01-25	10722
08-01-25	10310
09-01-25	10310
10-01-25	9691
11-01-25	9073
12-01-25	9073
13-01-25	8248
14-01-25	8448
15-01-25	9144
16-01-25	9113
17-01-25	9113
18-01-25	9113
19-01-25	9174
20-01-25	9253
21-01-25	9293
22-01-25	9204
23-01-25	9184
24-01-25	9174
25-01-25	9093
26-01-25	9627
27-01-25	9379
28-01-25	9583
29-01-25	9691
30-01-25	9800
31-01-25	9800
01-02-25	9778
02-02-25	9767
03-02-25	9767
04-02-25	9745
05-02-25	10160
06-02-25	10104
07-02-25	10048
08-02-25	10033
09-02-25	10306
10-02-25	10125
11-02-25	10260
12-02-25	10010
13-02-25	9936
14-02-25	11268
15-02-25	12362
16-02-25	12224
17-02-25	12088
18-02-25	12543
19-02-25	13059
20-02-25	12540
21-02-25	11338
22-02-25	11467
23-02-25	11585
24-02-25	12149
25-02-25	12155
26-02-25	12697